उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–267/71–1–14–क–64/2011
लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2014
कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 चित्रा, आचार्य, एनेस्थीसिया विभाग, मेडिकल कालेज, कानपुर को दिनांक 28.02.2010 को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–2384/71–1–10–म–19/2010, दिनांक 15.04.2010 द्वारा उनकी विशिष्टता में मेडिकल कालेज, कानपुर में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था तत्पश्चात् डा0 चित्रा की प्रतिवर्ष संविदा अवधि बढ़ायी गयी है अन्तिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या–1263/71–1–2014–क–64/2011, दिनांक 11.07.2013 द्वारा संविदा अवधि 01 वर्ष के लिए बढ़ायी गयी थी उक्त अवधि दिनांक 19.04.2014 को समाप्त हो जायेगी। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–2/2014/108, दिनॉक 17.01.2014, द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय डा0 चित्रा, आचार्य, एनेस्थीसिया विभाग, मेडिकल कालेज, कानपुर की संविदा अवधि दिनांक 19.04.2014 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित आचार्य उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इन शर्तों/प्रतिबन्धों सहित प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2– यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डा0 चित्रा संविदा पर नियुक्ति के दौरानः–

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगें।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगें।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगें।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगें।
(6) स्थानांतरित नहीं कियें जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगें।

3– शासनादेश संख्या–2690/71–1–08–जी–204/2008, दिनॉक 30.07.2008, शासनादेश संख्या–2489/71–1–08–जी–204/2008, दिनॉक 30.07.2008, शासनादेश संख्या–4661/ 71–1–08–जी–63/2008, दिनॉक 15.12.

U.O- Gautam Ji- -

2008 तथा शासनादेश संख्या–1364/71–1–10– जी–63/2008 दिनांक 07.06.2010 तथा शासनादेश संख्या–909/71–1–2013–जी–11/2011, दिनॉक 11.04.2013 एवं शासनादेश संख्या–2282/71–1–2013–जी–11/2011, दिनॉक 13.09.2013 में निर्धारित अन्य सुसंगत शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगें।

4– संविदा पर नियुक्त डा0 चित्रा को शासनादेश संख्या–1346/71–1–10–जी–63/2008, दिनॉक 07 जून, 2010 के प्रस्तर–3 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आचार्य का नियत वेतन रू0 70,000/– प्रतिमाह देय होगा। डा0 चित्रा को उक्त निर्धारित नियत वेतन पेंशन की धनराशि के अतिरिक्त देय होगा।

5– डा0 चित्रा की संविदा अवधि कभी समाप्त की जा सकती है।

सुभाष चन्द्र राय
विशेष सचिव

संख्या–267(1)/71–1–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4– वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5– कोषाधिकारी, कानपुर।
6– संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
7– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

U.O- Gautam Ji- -